

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड  
देवबन्द

लगाया गया

ब्लाक :-

पत्र संख्या 7431 / वि० वि० ख० / ई-5/

पोस्ट सर्टिफिकेट के द्वारा  
दिनांक 14/03/23

विषय : निजी नलकूप कनेक्शन हेतु।

सेवा में,

श्री चांदू खान पुत्र श्री नूर मोहम्मद  
ग्राम चौकडा कुर्डी पोस्ट कुर्डी जिला सहारनपुर।  
महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि 08HP हा० पा० नलकूप/पम्प सैट की  
विद्युत स्वीकृति नं० दिनांक देने में अंकन रुपया 48484/- केवल  
का एस्टीमेट बनाया गया है तथा इस कनेक्शन को देने में 60 मीटर लम्बी एच.टी./एल.टी.  
लाईन तथा के. वी. ए. का नया सब स्टेशन बनाने के लिये  
निम्नलिखित व्यय होगा।

विवरण

1. प्रतिभूति राशि	
(1) निजी नलकूप @ रु० 225 प्रति हा० पा० के साथ रु० 300 मात्र बत्ती/पंखा वास्ते	रु० 2700/-
(2) सर्विस कनेक्शन चार्जेज	रु० 4957/-
2. निर्धारित सीमा से अधिक लाईन बनाने का व्यय (Out Right Payment) यह धन आपको वापिस नहीं होगा।	रु० 12000/- 51527/-
योग	51184/-

Fiftyone thousand one hundred eightyfour only

उपरोक्त धनराशि इस पत्र पर अंकित दिनांक से एक महीने के अन्दर जमा करा दें अन्यथा यह समाप्त जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं है और आपकी स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी तथा 25 रुपये धनराशि जमा कर ली जायेगी।

अनुबन्ध करते समय दो गवाहों एवं 100 रुपये का स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp) एवं उपभोक्ता अपना फोटो, ग्राम प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित सहित किसी भी कार्य दिवस पर शनिवार को छोड़कर जमा करा सकते हैं।

3. आप अपनी विद्युत भार स्वीकृति तथा जमा किये हुये धन की समस्त रसीदें साथ लायें।
4. धन केवल 9 से 12 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर जमा करा सकते हैं। शनिवार तथा माह के अन्तिम दिन भुगतान केवल 9 से 11 बजे तक स्वीकार किया जायेगा।
5. मीटर निरीक्षण शुल्क स्टेट बैंक में ब्यालान फार्म जमा कराना आवश्यक है। रुपये जमा कराने का बैंक निम्न प्रकार है 043 Other Taxes Electricity Duty.
6. आपकी अपने कनेक्शन के लिये स्वयं सम्बन्धित 33 के०वी० विद्युत सब स्टेशन (सम्बन्धित) से अपने वाहन द्वारा सामान की दुलाई करनी होगी। सामान दुलाई के साथ कारपोरेशन का चतुर श्रमिक (Skilled Labour) जायेगा तथा शीघ्र ही कार्य शुरु करेगा।
7. आपको अपना पम्प हाऊस बनाते हुए आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा, अतः उसी मे से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाईन व सब स्टेशन हेतु भी देय होगी।
8. कनेक्शन हेतु लाईन सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी वह भी आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा।
9. ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो कापी भी साथ लायें।

नोट :- 1. क्रम संख्या 6, 7 तथा 8 के अन्तर्गत आपके द्वारा किये जाने वाले खर्च को आपके स्टीमेट से कम कर दिया है तथा 180 रुपये प्रति 10 मीटर की दर से ली गई है।

2. सीमेंट, बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखरी खम्बे तथा एंगल पोल तथा स्टे के लिये होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी।

प्रति खम्बा \_\_\_\_\_ सीमेंट 0.85 बोरी, बालू 4.45 घन फीट, मिट्टी 9.10 घन फीट

प्रति स्टे \_\_\_\_\_ सीमेंट 0.35 बोरी, बालू 1.85 घन फीट, मिट्टी 3.7 घन फीट

3. आपके कार्य करने के लिये \_\_\_\_\_ मजदूरों की आवश्यकता होगी। आपके कनेक्शन को बिजली तमी दी जायेगी जब आपका वायरिंग पूरा होगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त प्रस्ताव में परिवर्तन करने एवं प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

भयदीप

अधिसासी अभियन्ता

संख्या 7431 दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित-

1. उपखण्ड अधिकारी वि० वि० उपखण्ड

अधिसासी अभियन्ता